न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मंडल भोपाल पीठ भोपाल म.प्र.

निग - 2986-PBR-16 रिवीजन क.

गुलाब सिंह, दयाराम पुत्रगण–स्व.पूरन सिंह,
श्रीमती कुसुम बाई पत्नि फूलमल
पुत्री स्व0पूरन सिंह,
गोविन्द सिंह, लीलाधर
पुत्रगण –स्व0रामचरण कुशवाह
श्रीमती सुनीता बाई
पत्नि स्व0गुलजारीलाल
कु0 नीलम, कु0 पलक,
पुत्रीगण–स्व.श्री गुलजारीलाल
अवयस्कगण, सुमित
पुत्र स्व0गुलजारीलाल, अवयस्क
निवासीगण ग्राम बावडियाकला
जिला भोपाल म0प्र0 --- रिवीजनकर्तागण

विरूद्ध

म0प्र0शासन --- प्रतिप्रार्थी

## रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

श्रीमान,

सेवा में रिवीजनकर्तागण की ओर से निम्न निवेदन हैः–

यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल द्वारा प्रकरण क. अपील/32/2015–16 गुलाब सिंह व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन में दि0 16.08.16 को पारित आदेश से क्षुब्ध व असंतुष्ट होकर प्रकरण के तथ्य एवं ठोस आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत है।

## प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रिवीजनकर्तागण द्वारा मौजा ग्राम बावडियाकला प0ह0नं0 42/50

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2986–पीबीआर/16 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1–2–2018 | आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त भोपाल के आदेश दिनांक 16–8–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 11–3–2015 को नोट किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 11–3–2015 के विरूद्ध उनके समक्ष दिनांक 16–4–2016 को 1 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील को समय बाह्य होने से अग्राह्य करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमिता नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |